राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 47/2014.....जिला.....अलवर.....
उनवान–मैसर्स शीतल एन्टरप्राईजेज, रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, भिवाड़ी बनाम् स.वा.क.अ., घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **26.12.2013,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति 6,64,558/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर सुनवायी के दौरान **रू0 2,94,558/–** की बकाया मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री सतीश कुमार गुप्ता एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद रोक आवेदन पत्र पर बहस हेतु दिनांक **28.02.2014** को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन, उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि हस्तगत प्रकरण में करावंचन की नियत से दस्तावेज तैयार कर, कर योग्य अधिसूचित माल राज्य के बाहर, रेवाड़ी (हरियाणा) से राज्य में जयपुर के लिये परिवहनीत किये जाने संबंधी बिन्दु विवादित है एवम् वक्त परिवहन अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानानुसार बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है जिसके अभाव में माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **गुलजग इण्डस्ट्रीज़ 18 टैक्स अपडेट 321** में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में, **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रत्यर्थी अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है।** अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है । अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का निस्तारण इस आदेश की तिथि से **दो माह** की अवधि में करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया । 6.3.2014 **(मदन लाल)** **सदस्य**	